भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1057
(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' में अनियमितताएं

1057. श्री संजय राउत :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय मनरेगा निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग करके बिल तैयार करने और स्वीकृत करने हेतु इलैक्ट्रानिक प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) और (ख) : मंत्रालय को देश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं । ये शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कॉर्ड न दिए जाने, निधियों के दुर्विनियोजन, ठेकेदारों को काम पर लगाए जाने, मस्टर रोल में जालसाजी, जॉब कार्डों में हेराफेरी, कम मजदूरी के भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, मशीनों का इस्तेमाल किए जाने, भुगतान में देरी इत्यादि के मामलों से संबंधित होती हैं । मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जाँच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपनी बनाई योजनाओं के अनुसरण में करती हैं । प्राप्त हुईं, निपटाई गई और लंबित पड़ीं ऐसी शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : मंत्रालय ने भुगतान में होने वाले विलंब को रोकने के लिए मस्टरों और सामग्री बिलों के इलैक्ट्रॉनिक प्रबंधन के लिए तथा वास्तविक समय आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है । इस उपाय के बारे में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जानकारी दे दी गई है ।

*****

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं.1057 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I

(31-10-2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित
1.	आंध्र प्रदेश	52	28	24
2.	अरूणाचल प्रदेश	01	00	01
3.	असम	44	11	33
4.	बिहार	243	57	186
5.	छत्तीसगढ़	122	77	45
6.	गोवा	01	00	01
7.	गुजरात	50	26	24
8.	हरियाणा	79	52	27
9.	हिमाचल प्रदेश	36	17	19
10.	जम्मू व कश्मीर	07	05	02
11.	झारखंड	152	76	76
12.	कर्नाटक	38	16	22
13.	केरल	16	11	05
14.	लक्षद्वीप	02	02	00
15.	मध्य प्रदेश	550	261	289
16.	मेघालय	04	03	01
17.	महाराष्ट्र	31	26	05
18.	मणिपुर	18	09	09
19.	मिजोरम	01	01	00
20.	नागालैंड	06	03	03
21.	ओडिशा	80	28	52
22.	पंजाब	26	20	06
23.	पुदुचेरी	03	01	02
24.	राजस्थान	267	142	125
25.	सिक्किम	01	01	00
26.	तमिलनाडु	20	12	08
27.	त्रिपुरा	03	03	00
28.	उत्तर प्रदेश	1574	923	651
29.	उत्तराखण्ड	41	29	12
30.	प. बंगाल	48	30	18
	अखिल भारत	**3516**	**1870**	**1646**